न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)
बइजलास– जगदीश प्रसाद गौड़, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 32 / 2023 जीसीएमएस नम्बर 2023 / 128

अपीलान्ट
1. मदन सिंह पुत्र भोपाल सिंह
जाति राजपूत निवासी घाटवा तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

रेस्पोडेन्ट्स
राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन ।

उपस्थित अधिवक्ताः–
1. राजेश गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. राज पैरोकार नायब तहसीलदार नावां सरकार की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांकः 22.07.2024

1 यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कुचामन के प्रकरण संख्या 21 / 2020 बअनवान सरकार जरिये पटवारी घाटवा बनाम श्री मदन सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2020 के विरूद्ध पेश की है।

2 अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का घाटवा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 23.09.2020 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 29.09.2020 द्वारा अपीलान्ट को ग्राम घाटवा के खसरा नं. 504 कुल रकबा 15.14 हैक्टर किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 40 वर्गमीटर भूमि पर से बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट का कथन है कि न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट का पक्ष सुने बिना ही दिनांक 29.09.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। तथा ग्राम घाटवा के खसरा नं. 504 कुल रकबा 15.14 हैक्टर किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 40 वर्ग मीटर भूमि पर से अपीलान्ट को बेदखल कर लगान 0.07 का पचास गुणा से राशि रूपये 4 रूपये अक्षरे चार रूपये जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3 अपीलान्ट की अपील दिनांक 06.04.2021 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु [illegible] गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ [illegible] / 2021 / 1201 दिनांक 11.08.2021 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:20:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

4 वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा निर्णय दिनांक 29.09.2020 अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट को आक्षेपित निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये है। वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

5 बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम घाटवा के खसरा नं. 504 रकबा 15.14 हैक्टर भूमि में से 40 वर्ग मीटर पर छड़िया डालकर नाजायज कब्जा कर रखा है के संबंध में दौराने बहस यह बताया गया कि पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को गलत रिपोर्ट पेश की उक्त खसरा नम्बर 504 की भूमि पर अपीलान्ट जब से गांव बसा है तब से पुश्तैनी रूप से निवास करते आ रहे है। अपीलान्ट के पास उक्त मकान के अतिरिक्त अन्य कोई आवासीय मकान कहीं पर भी नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 504 गांव की आधी से ज्यादा आबादी बसी हुई है। परन्तु राजनैतिक द्वेषता वश कार्यवाही करवायी गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त खसरे की आबाद भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.02.2016 को लिया गया एवं जिला कलक्टर नागौर को प्रेषित किया गया। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय कोई गौर नहीं किया । अपीलार्थी की आयु 85 वर्ष है एवं वृद्वावस्था के कारण अक्सर बीमार रहता है। उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को नजरअन्दाज करते हुए अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश पारित कर दिये जो विधि विरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है।

6 राजपैरोकार सरकार नायब तहसीलदार नावां ने बताया कि उपरोक्त अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि गै0मु0पहाड़ दर्ज है उस पर 40 वर्गमीटर में छड़िया लगाकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण के खिलाफ धारा 91 के तहत विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए बदेखली के आदेश पारित किये गये है।

7 अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राज पैरोकार की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का घाटवा की रिपोर्ट अनुसार मौजा घाटवा के खसरा न. 504 कुल रकबा 15.14 हैक्टेयर किस्म गै.मु. पहाड़ में से 40 वर्गमीटर भूमि पर छड़िया डालकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान करने पर भी अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा स्वामित्व सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। जो हटाना आवश्यक है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना [illegible] कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल [illegible] सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समस्त कार्यवाही [illegible] तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:20:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी

ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को वेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

—:आदेश:—

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रकरण संख्या 21/2020 दिनांक 29.09.2020 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामनसिटी

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:20:29 IST
Reason: SelfAttested